


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

गणनी/अपील संख्या...359/2015जिला.....भरतपुर.....

उनवान – श्रीमती इन्द्रा देवी धर्मपत्नि श्री सूपरिया, भरतपुर बनाम उप पंजीयक, भरतपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री राजीव चौधरी, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी विभाग के उप राजकीय अभिभाषक श्री आर के अजमेरा उपस्थित।</p> <p>निगरानीकर्ता व उनके अभिभाषक को कालान्तर पर आवाज लगवाई गई। निगरानीकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत निगरानी की ग्रहयता के लिये आवश्यक 50 प्रतिशत राशि भी आज दिनांक तक जमा नहीं कराई गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता इस निगरानी को आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः निगरानी संख्या 359/2015/भरतपुर को अदम कमी-पूर्ति में खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;">आदेश/निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  (राजीव चौधरी) सदस्य </div>	